न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2016

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हणुतराम पुत्र श्री उर्जाराम 2. भोमाराम पुत्र श्री उर्जाराम जातियान जाट निवासी ग्राम धनारी कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर		1. सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 30.05.2016 जो राजस्व मुकदमा संख्या 05/2016 में नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 23.07.2019

अपीलान्ट हणुतराम पुत्र श्री उर्जाराम जाति जाट निवासी ग्राम धनारीकलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर के विरूद्ध नायब तहसीलदार, बावड़ी द्वारा दिनांक 30.05.2016 को प्रकरण संख्या 05/2016 बअनवान सरकार बनाम हणुतराम वगैरह में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी धनारीकलां एवं भू अभिलेख निरीक्षक नांदियाखुर्द ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार बावड़ी को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम धनारीकलां में स्थित खसरा नम्बर 769 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर पर बाड़ा बनाकर कृषि वर्ष 2073 में अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार बावड़ी ने प्रकरण दर्ज कर

जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को तलब किया। नायब तहसीलदार बावड़ी ने दिनांक 30.05.2016 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने, अपीलार्थी को नोटिस देकर बुलाकर प्रथम पेशी पर ही खाली आज्ञासूची पर उनके हस्ताक्षर करवाने तथा बाद में मैकेनिकल प्रोसेस से आदेश बनाकर रिक्त स्थानों को भरा जाकर पत्रावली में संलग्न किया जाने, जिस भूमि बाबत अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की गई वह भूमि न राजकीय न गौचर भूमि है उस भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा सन् 1990 में अपीलार्थी को खातेदार घोषित किया गया एवं अपीलार्थी इस पर वक्त बन्दोबस्त के पूर्व से काबिज होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले मे कोई विधिवत कार्यवाही शहादत एवं पटवारी के बयान दर्ज नहीं किये जाने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दर्शाये एवं किसी बिन्दू पर कोई निष्कर्ष दिये बिना आदेश पारित किया जाने, वर्तमान राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजो के अनुसार विवादग्रस्त भूमि गोचर भूमि नहीं होकर काबिल काश्त है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड की बिना कोई जांच किये फैसला किया जाने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, बावड़ी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नायब तहसीलदार बावड़ी द्वारा दिनांक 30.05.2016 को पारित आदेश को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धनारी कलां के खसरा नम्बर 769 रकबा 2.00 बीघा गै.मु. गोचर भूमि पर बाड़ा बनाकर अपीलान्ट द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हल्का पटवारी धनारीकलां एवं भू अभिलेख निरीक्षक नांदियाखुर्द की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार बावड़ी ने अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम धनारीकलां में स्थित खसरा नम्बर 769 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया के संबंध में अधिवक्ता अपीलान्ट ने बताया कि उक्त भूमि पर तरमीम की कार्यवाही हो चुकी है तथा वर्तमान में अतिक्रमण नहीं है इसलिए प्रकरण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज फरमाया जावे।

अत: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बावड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश की पालना करने से पूर्व ग्राम धनारीकलां के खसरा नम्बर 769 के रकबा 2.00 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुरूप अपीलान्ट को सूचित करते हुए मौके का निरीक्षण करे, यदि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलाधीन आदेश की पालना की जावे और यदि अतिक्रमण नहीं है तो अपीलाधीन आदेश निरस्त माना जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर